



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 07.06.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ "ऑपरेशन ईगल" के क्रम में थाना मटौंध पुलिस टीम द्वारा 04 अन्तर्राज्यीय अवैध गांजा तस्करों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 35 किलो 800 ग्राम अवैध सूखा गांजा किया गया बरामद।

❖ अभियुक्तों द्वारा उड़ीसा से बिहार व मध्य प्रदेश के रास्ते लाई जाती थी अवैध गांजे की खेप। बांदा और आसपास के जनपदों में की जाती थी अवैध गांजे की बिक्री।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन ईगल" के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजीव प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना मटौंध पुलिस टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय अवैध गांजा तस्करों को खैरार रेलवे क्रासिंग के पास से किया गया गिरफ्तार। गौरतलब हो कि दिनांक 06.06.2025 रात्रि थाना मटौंध पुलिस गश्त व संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग के दौरान रेलवे खैरार जंक्शन क्रासिंग के पास से 04 को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 35 किलो 800 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ है। अभियुक्त उड़ीसा से बिहार व मध्य प्रदेश के रास्ते से अवैध सूखे गांजे की खेप लाते थे तथा बांदा और आसपास के जनपदों में इसकी बिक्री करते थे। उपरोक्त 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा पुलिस द्वारा पूछताछ करते हुए जानकारी की जा रही है कि अभियुक्तों के द्वारा किसके माध्यम से गांजे की खरीद/बिक्री की जाती थी, जानकारी होने पर इन सभी के खिलाफ भी विधिक कार्यवाही की जाएगी।

बरामदगी-

➤ 35.8 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सोना रतन राणा पुत्र नाटो राणा निवासी बालखम्भा थाना तरभा जनपद सोनपुर(उड़ीसा)।
2. शिवप्रसाद राणा पुत्र जागेश्वर राणा निवासी मेंडा थाना तरभा जनपद सोनपुर(उड़ीसा)।
3. विशेषण राणा पुत्र लेहरू राणा निवासी बडमुंडा थाना तरभा जनपद सोनपुर(उड़ीसा)।
4. अलखराम कुशवाहा पुत्र रघुवीर ककुशवाहा निवासी परछट थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

पंजीकृत अभियोग-

➤ मु0अ0सं0- 123/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास विशेषण राणा-

1. मु0अ0सं0- 148/24 धारा 20(बी)(II)(बी) एनडीपीएस एक्ट थाना तरभा जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 123/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अलराम कुशवाहा-

1. मु0अ0सं0- 288/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।
2. मु0अ0सं0- 340/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कबरई जनपद महोबा।
3. मु0अ0सं0- 84/20 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना कबरई जनपद महोबा।
4. मु0अ0सं0- 123/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. श्री संदीप कुमार सिंह थानाध्यक्ष मटौध
2. उ०नि० श्री मनीष कुमार शर्मा
3. मउ०नि० श्रीमति सृष्टि नगायच
4. कां० आदित्य अवस्थी
5. कां० कृष्णकांत